

दंगा पीड़ितों की मदद हेतु

दिल्ली सरकार की सहायता योजना

क्षेत्र	राशि
मृतक वयस्क	10 लाख रुपये *
मृतक नाबालिक	5 लाख रुपये
स्थायी अक्षमता	5 लाख रुपये
गंभीर चोट	2 लाख रुपये
मामूली चोट	20000 रुपये
अनाथ के लिए	3 लाख रुपये
जानवर की क्षति	5000 रुपये
साधारण रिक्शा	25000 रुपये
ई-रिक्शा	50000 रुपये

* (एक लाख एक्स-ग्रेटिया परिवार को तुरंत और बाकि 9 लाख कागजी कार्यवाही पूरी होने पर)

घर को हुआ नुकसान

पूरी तरह क्षति	5 लाख रुपये *
भारी क्षति	2.5 लाख रुपये **
मामूली क्षति	15000 रुपये

* (एक लाख किरायेदारों के लिए और 4 लाख मकान मालिक के लिए)

** (50000 किरायेदारों के लिए और 4 लाख मकान मालिक के लिए)

घर के सामान की क्षति के लिए तुरंत 25000 रुपये की राशि दी जायेगी

व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नुकसान अधिकतम 5 लाख रुपये

हेल्पलाइन नंबर:

आपदा प्रबंधन: 1077

डी सी नार्थ-ईस्ट: 011 22115289

एसडीएम, यमुना विहार: 011 22574468

एसडीएम, सीलमपुर: 011 22827367

एसडीएम, करावल नगर: 011 22574469

डी सी शाहदरा: 011 22111077

एसडीएम शाहदरा: 011 22110029

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

राजस्व विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

